मिस्यारा/ 18.10.2022 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी पक्ष उपस्थित। विप्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।

आ०नि० (केसरराम/केवाराम)

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी पक्ष नें आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया,कि प्रार्थी पक्ष की ओर से जो कदीमी रास्ता प्रस्तावित किया है वह रास्ता बारहमासी चलनें वाला कदीमी रास्ता आमजन द्वारा आवागमन हेतु लम्बे समय से उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन प्रस्तावित रकबा निजी खातेदारीं में दर्ज है। जिसकी किस्म बा.दो. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है,लेकिन उक्त प्रस्तावित रकबा आमजन के आने जाने हेतु कदीमी रास्ते के रूप में लम्बे समय से उपयोग में आ रहा है। जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested

आ०नि० (रत्वाराम/गिरधारीराम)

आ०नि० (किसनाराम/दुर्गाराम)

आ०नि० (किस्तुरराम/आलाराम)

आ०नि० (जीपाराम/मालाराम)

राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें के लिए आवेदन पेश किया है। राज.पैरोंकार ने अपनी बहस जारी रखतें हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी पक्ष भी रास्ता स्वीकृत करवाने पर सहमत है। जिसके लिए न्यायालय हाजा के आदेशिका दिनांक 13.09.2022 की अनुपालना में प्रार्थी पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर पटवारी हल्का कादानाडी द्वारा मौका निरीक्षण की वर्तमान रिपोर्ट पक्षकारान के रूबरू तैयार करते हुए उनकी उपस्थिति में फर्द तैयार की गई, जो खातावार सलंग्न प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित रास्तें की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट तथा वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता से विशलेषण करते हुए उनका अद्यतन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि,आवेदन में प्रस्तावित भूमि की किस्म बा.दो. निजी खातेदारीं मे दर्ज है। वर्तमान स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट पुनः पैरोकार सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पटवारी हल्का कादानाडी से प्राप्त की गई तथा प्रस्तावित रास्ता का मौका निरीक्षण किया। मौके पर कदीमी रास्ता चल रहा है। विप्रार्थी पक्ष की ओर से कदीमी रास्ता स्वीकृत करने में सहमति दी है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested